रजिस्टर सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1981 (श्रावण 17, 1903)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1981 (SRAVANA 17, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	519
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	991
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1001
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1345
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1851
भाग II—खंड 3-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	303
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	247
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	9491
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	431
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	81
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2168
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	151
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	519
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	991
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1001
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1345
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1851
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	303
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	247
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9491
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	431
PART III—SECTION 3.—Natifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	81
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2165
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	151
PART V.—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड I

PART I—SECTION I

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1981

सं० एम०-13016/2/81-समन्वय—राज्य आय तथा संबद्ध समाहारों के आंकड़ा आधार में सुधार लाने के लिए महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की अध्यक्षता में एक तकनीकी कार्यकारी दल गठित करने का निश्चय किया गया है। कार्यकारी दल का गठन नीचे दर्शाया गया है :—

1. डा० के० सी० शील — अध्यक्ष
महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय
नई दिल्ली-110001

2. प्रो० वी० एम० डांडेकर — सदस्य
निदेशक,
भारतीय राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था संस्थान
82014 शिवाजी नगर
पुणे-411004

3. प्रो० नीलकण्ठ रथ, — सदस्य
निदेशक,
गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान,
पुणे-411004

4. श्री पी० बी० के० मूर्ति — सदस्य
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
आंध्र प्रदेश सरकार, पो० बा० नं० 5,
हैदराबाद-500004

5. श्री जे० एन० शर्मा — सदस्य
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
असम सरकार गोहाटी-3

6. श्री एस० एन० सिद्धांस — सदस्य
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
महाराष्ट्र सरकार
डी०डी० बिल्डिंग, पुराना कस्टम हाउस
बम्बई-400023

7. श्री आर० एन० शर्मा — सदस्य
निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान सरकार,
नये उच्च न्यायालय भवन के पीछे,
तिलक मार्ग-सी स्कीम,
जयपुर-302005

8. डा० पी० के० पाणी — सदस्य
सलाहकार सांख्यिकी विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक पो० बैग नं० 16604
बम्बई-400018

9. डा० एस० एन० रे — सदस्य
निदेशक,
सर्वेक्षण एवं अभिकल्प प्रभाग
रा० प्र० सर्वेक्षण संगठन
25-ए शेक्सपियर सरणि,
कलकत्ता-700017

10. डा० (श्रीमती) आई० के० वढ़ठाकुर — सदस्य
निदेशक (परिवहन अनुसंधान)
नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय
आई० डी० ए० बिल्डिंग, जामनगर हाउस,
नई दिल्ली-110001

11. श्री एस० डी० वोकिल — सदस्य
प्रभागाध्यक्ष
प्रतिदर्श सर्वेक्षण रीतिविज्ञान
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान (भी० कृ० अ० प०)
लायब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012

12. श्री कमल किशोर — सदस्य
उप आर्थिक सलाहकार
उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110001

13. श्री एस० कृष्णामूर्ति — सदस्य
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

14. श्रीमती उमाराय चौधुरी — सदस्य-सचिव
अपर निदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
नई दिल्ली-110001

2. कार्यकारी दल के कार्य निम्नवत होंगे:—

(i) राज्य आय तथा सम्बद्ध समाहारों संबंधी आंकड़ों में सुधार लाने से संबंधित क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों की जांच करना;

(ii) ऊपर (i) पर उल्लिखित आंकड़ा सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले प्रतिदर्श सर्वेक्षणों तदर्थ सर्वेक्षणों और तकनीकी सर्वेक्षणों के संबंध में सिफारिशें करना; और

(iii) समय-समय पर कार्यकारी दल को भेजी गई विशेष समस्याओं के संबंध में अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण एवं कार्यपद्धति के बारे में परामर्श देना।

3. कार्यकारी दल की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी अधिकारियों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी व्यय सामान्य नियमों के अनुसार सांख्यिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा । कार्यकारी दल के लिए लिपिक कार्य की सहायता की व्यवस्था केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकीय विभाग, नई दिल्ली करेगा ।

4. कार्यकारी दल निरन्तर आधार पर कार्य करेगा और जब कभी इसे कोई विशेष समस्याएं भेजी जाएंगी उन पर गौर करेगा ।

एम० एस० आनन्द, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 1981

संकल्प

सं० एफ०-6(34)/81-आई० सी—सरकार की इस नीति के अनुसरण में कि संविधान के अनुच्छेद 39 क में की गई परिकल्पना के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध की जाए विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति नामक एक समिति का गठन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के तारीख 26 सितम्बर 1980 के संकल्प सं० 6 (19)/80-आई० सी० के अनुसार किया गया था । उक्त संकल्प में दिए गए सरकार के उद्देश्यों को अग्रसर करते हुए भारत सरकार इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति नामक एक समिति का गठन करती है ।

2. इस समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा :—

(1) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश, जिसे विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति (जिसे इसमें आगे केन्द्रीय समिति कहा गया है) का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नामनिर्देशित करेगा । — अध्यक्ष

(2) भारत का महान्यायवादी — उपाध्यक्ष

(3) उच्चतम न्यायालय बार एसोसियेशन द्वारा नामनिर्देशित इस एसोसियेशन के तीन प्रतिनिधि जिन्होंने स्वयं को विधिक सहायता के कार्य के लिए समर्पित किया है इनमें से एक अभिनेब अधिवक्ता होगा — सदस्य

(4) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, पदेन — सदस्य

(5) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि पदेन — सदस्य

(6) उच्चतम न्यायालय बार के दो सदस्य जिन्हें अध्यक्ष नामनिर्देशित करेगा । इनमें से एक ज्येष्ठ अधिवक्ता होगा और दूसरा अभिनेब अधिवक्ता होगा — सदस्य

(7) उच्चतम न्यायालय बार का एक सदस्य जिसे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशत करेगा । — कोषाध्यक्ष

(8) उच्चतम न्यायालय बार का एक सदस्य जिसे अध्यक्ष सदस्य-सचिव के रूप में नामनिर्देशत करेगा । — सदस्य-सचिव

3. इस समिति के कृत्य, शक्ति और कर्तव्य इस प्रकार होंगे, अर्थात् :—

(क) जहां तक विधिक सहायता कार्यक्रमों का संबंध भारत के उच्चतम न्यायालय से है उन्हें चलाना और क्रियान्वित करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाही करना जो आवश्यक हो तथा उन निदेशों के अनुसार कार्य करना जो भारत सरकार के तारीख 26 सितम्बर 1980 के संकल्प के अधीन गठित केन्द्रीय समिति द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ;

(ख) जहां तक विधिक सहायता और सलाह से संबंधित आवेदनों का संबंध उच्चतम न्यायालय से है उन आवेदनों को प्राप्त करना और उनके बारे में जांच पड़ताल करना ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में फाइल किए गए या किए जाने वाले मामलों में विधिक सहायता देने की व्यवस्था करना;

(घ) विधिक सहायता और सलाह देने के लिए अभिनेब अधिवक्ताओं और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं का पेनल रखना ;

(ङ) विधिक सहायता देने और उसे वापस लेने के बारे में सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना ;

(च) पैनल वाले विधि-व्यवसाइयों को उनके द्वारा दी गई विधिक सहायता और सलाह के लिए मानदेय का संदाय करने और साधारणतः समिति के व्ययन के लिए रखी गई निधियों से विधिक सहायता के अन्य खर्चे, प्रभार और व्यय उपलब्ध करने की व्यवस्था करना ;

(छ) विधिक सहायता के मामलों में अन्य पक्षकार से वसूलीय खर्चों, प्रभारों और व्ययों की वसूली के लिए कार्यवाही करना;

(ज) विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यकरण के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करना और उसमें सुधार का सुझाव देना ;

(झ) उच्चतम न्यायालय के संबंध में विधिक सेवा कार्यक्रम से संबंधित ऐसी मासिक विवरणियां, रिपोर्टें और सांख्यिकीय जानकारी तैयार करना, समेकित करना और प्रस्तुत करना जो आवश्यक हो और जिनके लिए केन्द्रीय समिति और केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए ।

(ञ) साधन-कसौटी चाहे कुछ भी हो,

(क) अत्यन्त सार्वजनिक महत्व के मामलों में ; या

(ख) किसी ऐसे विशेष मामले में जिसकी बाबत लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह समझा जाता है कि वह ऐसा मामला है जो अन्यथा, विधिक सहायता के लिए उपयुक्त मामला है, कार्यवाही आरम्भ करना या सहायता मंजूर करना ।

4 समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और सामान्यतः उसकी बैठक मास में एक बार होगी ।

5. (1) समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष होगा ;

परन्तु यदि कोई ऐसा सदस्य, पर्याप्त कारणों के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा और इस प्रश्न पर कि क्या उसकी ऐसी सदस्यता समाप्त हो गई है या नहीं, सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जब कभी किसी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित पद के आधार पर समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है तब यदि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाएगा तो वह तत्काल इस समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) समिति का गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है । वह त्यागपत्र पर अपने हस्ताक्षर करके और उसे समिति के सभापति को भेज कर ऐसा कर सकता है । ऐसा कोई त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे समिति का सभापति स्वीकार नहीं कर लेता है ।

(4) समिति के सदस्य के पद की कोई रिक्ति यथासाध्य शीघ्र उसी रीति से भरी जाएगी जिस रीति से मूल नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की जिस के स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है, पदावधि तक सदस्य बना रहेगा ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि के बीत जाने पर वह पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(6) समिति का कार्यकरण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालिक अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों आदि को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(पी०)बी०वेंकटसुब्रह्मण्यम, सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुलाई 1981

विषय :—निर्यातकों की लम्बित समस्याओं के समाधान के लिए अन्तः मंत्रालय समन्वय समिति का गठन ।

सं० 11(9)/81-इ० एं० सी०—निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही लम्बित समस्याओं चोकि बहुत समय से लम्बित पड़ी हैं अथवा जहां पर कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न हो जाती है जिसमें अन्तःमंत्रालय विचार विमर्श अपेक्षित होता है, के समाधान के लिए, कुछ समय से एक स्थायी संस्थागत प्रबन्ध की आवश्यकता महसूस की गई है । अतः इस उद्देश्य के लिए एक अन्तः मंत्रालय समन्वय समिति गठित करने का विनिश्चय किया गया है । इस समिति में निम्नोक्त शामिल होंगे :—

1. अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।	अध्यक्ष
2. आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (निर्यात सहायता) वाणिज्य विभाग ।	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)	सदस्य
5. चाटीरंग के मुख्य नियंत्रक, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	सदस्य
6. निदेशक (शुल्क वापसी) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	सदस्य
7. निदेशक, यातायात परिवहन, रेल मंत्रालय ।	सदस्य

2. अध्यक्ष महोदय को, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जब कभी आवश्यक हो सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए ।

के० प्रकाश आलम्ब, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 1981

संकल्प

सं० 1-8/77-एफ० आर० वाई० (एफ डी)—भारत सरकार ने केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की 10-11 नवम्बर, 1978 को हुई उसकी बैठक की सिफारिश के आधार पर इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियम तथा विनियमों के अनुसार 1981-82 से अखिल भारतीय आधार पर "वन वर्धक पुरस्कार" शुरू करने का निर्णय किया है । देश में सर्वोत्तम माने जाने वाले तीन प्रतियोगियों को वन वर्धक पुरस्कार, प्रमाणपत्र, और निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :—

प्रथम सर्वोत्तम पुरस्कार—	5000 रु० तथा वर्ष के लिए "वन वर्धक" शीर्षक वाला एक प्रमाण पत्र
द्वितीय पुरस्कार	3000 रु० तथा योग्यता का प्रमाण पत्र
तृतीय पुरस्कार—	2000 रु०

ये पुरस्कार प्रति वर्ष राष्ट्रीय वनमहोत्सव समारोह या विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय वानिकी बोर्ड के सभी सदस्यों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सभी कृषि विश्व विद्यालयों, वन विकास निगमों, सभी गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

समर सिंह, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1981

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/80/40/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 8-6-1981 के संकल्प सं० हिन्दी/समिति/80/40/1 के क्रम में डा० मधुकर गंगाधर 38/276, राजेन्द्रनगर, पटना-800016 को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी शब्दावली समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है ।

इनके संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 16-4-1980 के समसंख्यक संकल्प में उल्लिखित हैं ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

हिम्मत सिंह

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1981

संकल्प

सं० ई०-11016/9/80—हि० ए०—श्रम मंत्रालय के तारीख 29 अप्रैल, 1981 के इसी संख्या के संकल्प के क्रम में, भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नामित करने का निर्णय किया है :—

1. श्री एस० बी० पाटिल, सदस्य, लोक सभा
2. श्री राम भगत पासवान, सदस्य राज्य सभा
3. श्री मुकुल चन्द पाण्डेय,
   महा सचिव,
   हिन्दी व्यवहार संगठन,
   2/10, त्रिवेणीनगर, लखनऊ—7
4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
   मयूर भवन, नई दिल्ली

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों जिनमें स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

म० सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PLANNING
DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 16th July 1981

No. M-13016/2/81-Coord.—It has been decided to set up a Technical Working Group for Improvement of Data Base for State Income and Related Aggregates under the Chairmanship of the Director-General, Central Statistical Organisation. The composition of the Working Group is given below :—

Chairman

1. Dr. K. C. Seal
   Director-General, CSO.
   Department of Statistics
   Ministry of Planning
   New Delhi-110001.

Members

2. Prof. V. M. Dandekar
   Director
   Indian Institute of Political Economy
   820/4, Shivaji Nagar,
   Pune-411004.
3. Prof. Nilakantha Rath,
   Director
   Gokhale Institute of Politics & Economics
   Pune-411004.
4. Shri P. B. K. Murthy
   Director
   Bureau of Economics & Statistics
   Government of Andhra Pradesh
   Post Bag No. 5,
   Hyderabad-500004.
5. Shri J. N. Sarma
   Director
   Bureau of Economics & Statistics
   Government of Assam
   Gauhati-3.
6. Shri S. M. Vidwans
   Director
   Directorate of Economics & Statistics
   Government of Maharashtra
   DD Building : Old Customs House
   Bombay-400023.
7. Shri R. N. Sharma
   Director
   Directorate of Economics & Statistics
   Government of Rajasthan
   Behind New High Court Building
   Tilak Marg-C. Scheme,
   Jaipur-302005.
8. Dr. P. K. Pani
   Adviser
   Department of Statistics
   Reserve Bank of India
   Post Bag No. 16604,
   Bombay-400018.
9. Dr. S. N. Ray
   Director
   Survey Design & Research Division, NSSO,
   25-A, Shakespeare Sarani,
   Calcutta-700017.
10. Dr. (Mrs.) I. K. Barthakur
    Director (Transport Research)
    Ministry of Shipping & Transport
    IDA, Building; Jamnagar House
    New Delhi-110001.
11. Shri S. D. Bokil
    Head of Division
    Sample Survey Methodology
    Indian Agricultural Statistics
    Research Institute (ICAR)
    Library Avenue,
    New Delhi-110012.
12. Shri Kamal Kishore
    Deputy Economic Adviser
    Ministry of Industry
    Udyog Bhavan
    New Delhi-110001.
13. Shri S. Krishnamurthi
    Joint Director (Statistics)
    Directorate of Economics & Statistics
    Ministry of Agriculture & Irrigation
    Krishi Bhavan,
    New Delhi-110001.

Member Secretary

14. Mrs. Uma Roy Choudhury,
    Additional Director
    Central Statistical Organisation,
    New Delhi-110001.

2. The functions of the Working Group will be as under :—

(i) to examine the recommendations of the Regional Accounts Committee on data improvements for state income and related aggregates;

(ii) to make recommendations regarding sample surveys, ad-hoc surveys and technical studies to be undertaken at local level for data improvement referred to at (i) above; and

(iii) to advise on the approaches and methods to be followed in case of special problems referred to the Working Group from time to time.

3. The expenditure of the non-officials on TA/DA for attending the meetings of the Working Group will be met by the Department of Statistics according to normal rules. The secretarial assistance to the Working Group will be provided by the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, New Delhi.

4. The Working Group will function on a continuing basis and look into the special problems as and when these are referred to them.

M. L. ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 9th July 1981

RESOLUTION

No. F. 6(34)/81-IC.—In pursuance of the policy of the Government to provide free legal aid to ensure, as envisaged by Article 39A of the Constitution, that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities a Committee known as the Committee for Implementing Legal Aid Schemes was set up *vide* the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Resolution No. F.6(19)/80-IC, dated the 26th September, 1980. In furtherance of the objectives of the Government contained in the above Resolution, the Government of India hereby constitutes a Committee to be known as the Supreme Court Legal Aid Committee.

2. The Committee shall consist of—

President

(1) A sitting judge of the Supreme Court to be nominated by the Chairman of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes (hereinafter referred to as the Central Committee) with the concurrence of the Chief Justice of India.

Vice-President

(2) The Attorney-General of India.

Members

(3) Three representatives of the Supreme Court Bar Association dedicated to the cause of legal aid to be nominated by that Association, one of whom being an advocate-on-record.

(4) One representative from the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, *ex-officio*

(5) One representative from the Ministry of Finance, *ex-officio*

(6) Two Members of the Supreme Court Bar, to be nominated by the President, one of them being a Senior Advocate and another being an Advocate-on-record.

Treasurer

(7) One Member of the Supreme Court Bar to be nominated by the President as Treasurer.

Member-Secretary

(8) One Member of the Supreme Court Bar to be nominated by the President as Member-Secretary.

3. The functions, powers and duties of the Committee shall be the following :—

(a) to administer and implement the legal aid programme in so far as it relates to the Supreme Court of India and for this purpose take all such steps as may be necessary and to act in accordance with the directions that may be issued from time to time by the Central Committee set up under the Government or India Resolution dated the 26th September, 1980;

(b) to receive and investigate applications for legal aid and advice in so far as they relate to the Supreme Court;

(c) to provide for giving of legal advice in matters filed or to be filed in the Supreme Court;

(d) to maintain panels of advocate-on-record as also of Senior Advocates for giving legal aid and advice;

(e) to decide all questions as to the grant of or withdrawal of, legal aid;

(f) to arrange to make payment of honorarium to legal practitioner on the panel for legal aid and advice provided by them and generally to provide for other costs, charges and expenses of legal aid from the funds placed at the disposal of the Committee;

(g) to take proceedings for recovery of costs, charges and expenses recoverable from the other side in legal aid cases;

(h) to submit recommendations and suggest improvement in the working of the legal service programme;

(i) to prepare, consolidate and submit monthly returns, reports and statistical information in regard to the legal service programme in relation to the Supreme Court as may be necessary and as directed by the Central Committee and the Central Government;

(j) irrespective of the means test, to initiate proceedings or grant aid—

(a) in cases of great public importance; or

(b) in a special case, which for reasons to be recorded in writing, is considered otherwise deserving of legal aid.

4. The Committee will have its headquarters at New Delhi and shall meet ordinarily once in a month.

5. (1) The term of office of a Member of the Committee, other than *ex-officio* Members, shall be two years;

Provided that, if any such Member fails without sufficient cause to attend three consecutive meetings of the Committee, he shall cease to be such Member, and the decision of the President on the question, whether he has ceased to be such Member or not, shall be final.

(2) Whenever any person is nominated as a Member of the Committee by virtue of the post of office held by him, he shall forthwith cease to be a Member of the Committee if he ceases to hold such post or office.

(3) A non-official Member of the Committee may at any time resign his office by submitting his resignation signed and addressed to the President of the Committee. No such resignation shall take effect until it is accepted by the President of the Committee.

(4) Any vacancy in the office of a Member of a Committee shall be filled up as early as may be practicable in the same manner as the original appointment and the person so nominated shall continue to be a member for the duration of the term of office of the Member in whose place he is nominated.

(5) On the expiry of the term of office of a Member, other than *ex-officio* Members, he shall be eligible for re-nomination.

(6) The working of the Committee will be regulated by executive instructions as may be issued by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory administrations etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. B. VENKATASUBRAMANIAN, Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 9th July 1981

Subject :—Inter-ministerial Co-ordination Committee to resolve pending problems of exporters-Constitution of.

No. 11(9)/81-EAC.—For some time past, need has been felt to have a standing institutional arrangement for resolution of pending problems faced by exporters which have remained pending for a long time or where some special difficulty arises requiring inter-Ministerial consideration. It has, therefore, been decided to set up an inter-Ministerial Co-ordination Committee for the purpose. The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Additional Secretary, Ministry of Commerce.

Members

2. Chief Controller of Imports and Exports.

3. Joint Secretary (Export Assistance), Department of Commerce.

4. Joint Secretary, Ministry of Energy, (Department of Power).

5. Chief Controller of Chartering, Ministry of Shipping and Transport.

6. Director (Drawback), Ministry of Finance, (Department of Revenue).

7. Director, Traffic Trans, Ministry of Railways.

2. The Chairman will have power to co-opt other concerned officers from various Ministries/Departments of Government of India as and considered necessary.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

K. PRAKASH ANAND, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 13th July 1981

RESOLUTION

No. 1-8/77 Fry (FD) Coord.—In accordance with the recommendation of the Central Board of Forestry at its meeting held on 10-11th November 1978, the Government of India has decided to institute 'Van Vardhak Award' on all India basis, with effect from 1981-82, as per rules and regulations framed for the purpose. The 'Van Vardhak Award' will be awarded to the three best competitors in the country, alongwith certificates and the cash awards, of the amounts as indicated below :—

1st Best—Rs. 5000/- with a certificate conferring the title "Van Vardhak for the Year'.

2nd Best—Rs. 3000/- along with a certificate of Merit.

3rd Best—Rs. 2000/-.

These Awards will be given at the national level, every year, either on the occasion of National Vanmahotsava celebrations, or on the World Forestry Day.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of Central Board of Forestry all the State/Union Territories Governments, all Agricultural Universities, Forest Development Corporations, all private voluntary organisations including the President Secretariat, Prime Minister Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Labour, Department of Social Welfare and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th July 1981

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/40/1.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board's) resolution No. Hindi/Samiti/80/40/1 dated 8-6-81 Dr. Madhukar Gangadhar, 38/276, Rajendra Nagar, Patna-800016, is nominated as non-official member of the Railway Hindi Shabdawali Samiti constituted under the Ministry of Railways.

The other conditions concerning him will be the same as mentioned in resolution of even No. dated 16-4-80.

ORDER

ORDERED that copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HIMMAT SINGH, Secy., Rly. Board & *Ex-officio* Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, 17th July 1981

RESOLUTION

No. E. 11016/9/80-H.U.—In continuation of Ministry of Labour's Resolution of even No. dated the 29th April, 1981, the Government of India have decided to nominate the following persons as members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour :—

1. Shri S. B. Patil, Member of Lok Sabha.

2. Shri Ram Bhagat Paswan, Member of Rajya Sabha.

3. Shri Mukul Chand Pandey, General Secretary, Hindi Vyavahar Sanghthan, 2/10, Triveninagar Lucknow-7.

4. The Central Provident Fund Commissioner, Mayur Bhawan, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all Offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi-Autonomous Bodies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SETH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981